छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त
कार्यांक 124
दिनांक 11 FEB 2022
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/02/2022

क्रमांक एफ 10–08/2018/16 (पार्ट) :– छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना एवं महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला हितग्राहियों को रू0 10,000/– मण्डल द्वारा प्रदाय किया जाता था। दिनांक 01 जनवरी, 2022 को माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपये करने की घोषणा के परिपालन में मंडल द्वारा संचालित उक्त तीनों योजनाओं में आंशिक संशोधन करते हुये महिला हितग्राहियों को शिशु के जन्म के 90 दिवस के भीतर ऑनलाईन आवेदन करने पर एकमुश्त सहायता राशि रू0 20,000/– मंडल द्वारा देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

11.02.2022
(राकेश साहू)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रं. एफ 10–08/2018/16 (पार्ट) **नवा रायपुर, दिनांक** 11/02/2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, छ.ग. शासन, श्रम विभाग एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर,
2. सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
5. कलेक्टर, जिला – .... (छ.ग.)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, जिला–...(छ.ग.)
7. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14/2/22

11.02.2022
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग